

रेलवे भर्ती बोर्ड - सिकंदराबाद
सीईएन सं. 01/2024, सहायक लोको पायलट (एएलपी)
अनंतिम परिणाम भाग - VIII

21.05.2026 को प्रकाशित भाग-VII के परिणामों के क्रम में, निम्नलिखित केवल 07 (सात) अभ्यर्थियों को श्रेणी संख्या 1 (पू.त.रे.) और 1 (द.म.रे.) अर्थात् सीईएन 01/2024 तहत सहायक लोको पायलट (एएलपी) के पद हेतु क्रमशः पूर्व तट रेलवे एवं दक्षिण मध्य रेलवे के लिए अनंतिम रूप से चयनित और नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया गया है। उनके रोल नंबर क्षैतिज आरोही क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं मेरिट क्रम में नहीं।

श्रेणी सं. 01 (पू.त.रे) - सहायक लोको पायलट (एएलपी)				
281243280154951	281243280168801	केवल 02(दो)		
श्रेणी सं.01 (दमरे) - सहायक लोको पायलट (एएलपी)				
281244120104144	281244130231406	281244220115273	281244280167770	281245240182040
केवल 05(पाँच)				

नियुक्ति संबंधी कार्रवाई, योग्यता शर्तों और मूल दस्तावेजों का आगे का सत्यापन (अर्थात् शैक्षिक/तकनीकी योग्यता जन्म तिथि, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र संबंधी पूर्ववृत्त आदि) की जांच प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी/ पू.त.रे. एवं प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी/दमरे के कार्यालय द्वारा सीईएन संख्या 01/2024, सहायक लोको पायलट (एएलपी) के पद हेतु निर्धारित शर्तों के अनुसार की जाएगी। अभ्यर्थियों को प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी/ पू.त.रे. एवं प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी/दमरे के कार्यालय द्वारा सूचित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण:

- यह परिणाम अनंतिम है और इससे अभ्यर्थियों को रेलवे में नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यह रेलवे भर्ती बोर्ड किसी भी अनजाने त्रुटि/ टाइपोग्राफिकल गलती की स्थिति में परिणाम को रद्द / संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, यदि किसी अभ्यर्थी का नाम पैनल में शामिल किया जाता है या उसे नियुक्त किया जाता है, तो रेलवे भर्ती बोर्ड परिणाम रद्द / संशोधित करने और ऐसे अभ्यर्थियों के पैनल में शामिल होने को रद्द / संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और यदि पहले ही नियुक्त होने की स्थिति में योग्यता और समान अवसर के सिद्धांत को मूलभूत आधार मानते हुए उसे सेवा से हटाया जा सकता है।
- यदि कोई अभ्यर्थी चयन के लिए अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो उसकी नियुक्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी और उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, उसे रेलवे में किसी भी प्रकार की नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और यदि वह पहले से ही नियुक्त है तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

दिनांक: 25.05.2026

अधोहस्ताक्षरी -
अध्यक्ष
रेलवे भर्ती बोर्ड, सिकंदराबाद